तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज खुन्नासिंह बनाम राज. सरकार वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
03/02/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 04/02/26 को पेश हो।	
4/2/26	पत्रावली पेश हुई। जरिये वादी उक्त वाद पत्र वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांकः— 16 / 2024(35 / 2024)

1. खुन्नासिंह पुत्र धर्मसिंह जाति गूजर निवासी तुहिया पट्टी उच्चैन तहसील उच्चैन जिला भरतपुर। .....वादीगण

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन।

.....प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट वादी

निर्णय दिनांकः—04.02.2026

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खाता संख्या 15,16,163,164,265,497,517 वाके ग्राम तुहिया पट्टी में स्थित है। उक्त आराजी मुझ प्रार्थी को जरिये विरासतन मेरे पिता धर्मसिंह से प्राप्त हुई है तथा उक्त आराजी की मेरे पिता स्व0 धर्मसिंह की मृत्यू उपरान्त जब विरासत दर्ज करते समय मुझ प्रार्थी का नाम चुन्ना सिंह दर्ज कर दिया था जबकि मुझ प्रार्थी का नाम खुन्ना सिंह है एवं मेरे समस्त पहचान दस्तावेज जाति निवास प्रमाण पत्र पहचान पत्र एवं आधार कार्ड में मेरा नाम खुन्ना सिंह ही दर्ज है लेकिन मेरे पिता की वसीयत दर्ज करते समय मुझ प्रार्थी का नाम चुन्ना सिंह गलत दर्ज कर दिया है। कल दिनांक 11.07.2023 को अपनी उक्त आराजी को रहन रख पीनबी बैंक से कृषि विकास हेतु लोन लेने गया था तो बैंक मैंनेजर ने साफ कह दिया कि पहले आप अपने पहचान दस्तावेज एवं जमावंदी में एक ही नाम कराओ इसके बाद हीह म आपको लोन दे पायेंगें। जब प्रार्थी अपने पहचान दस्तावेजों के आधार पर जमाबंदी में नाम दुरूस्त कराने के लिये पैरोकार सरकार तहसीलदार उच्चैन के पास गया तो उनके द्वारा नाम दुरूस्त करने से साफ इन्कार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा जिसके कारण प्रार्थी ने उक्त वादपत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने जवाव पेश कर निवेदन किया है कि हाल जमाबंदी सम्बत् 2075—78 वाके ग्राम तुहिया पट्टी के आराजी ख0नं0 146, 149, 153, 191, 200, 210, 211, 276, 324, 371, 420, 810, 1053, 1090, 1091, 1128, 1191, 1198, 1286, 1287, 1314, 156, 1580, 1586, 1637, 1686, 605, 660, 1075, 1083, 1578, 601, 1052, 1070, 1074, 1093, 1115, 1115 / 1694, 1199, 1258, 1309, 1518, 157, 1054, 1094, 1101, 1192, 1310, 580, 1069, 1071, 1072, 1076, 1103, 1124, 1269, 1497, 1504, 722, 737, 853, 1541, 1050, 1051, 1077, 1082, 1079, 1078 में वादी का नाम चुन्नीसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति गूजर एवं खसरा नम्बर 1000, 999 में वादी का चुन्नासिंह पुत्र धर्मसिंह जाति गूजर हिस्सा मुताबिक जमावंदी अनुसार दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सम्बत् 2074—74 आधार वर्ष वाके ग्राम तुहिया

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

पट्टी में भी उक्त खसरा नम्बरान में भी वादी का नाम उपर्युक्तानुसार दर्ज रिकार्ड है। चुंकि वादी का नाम विरासत का नामान्तरण दर्ज करते समय ही तत्कालीन पटवारी द्वारा सहवन से चुन्ना/चुन्नीसिंह दर्ज होना बताया गया है जिस हेतु ग्राम तुहिया पट्टी के मजमेआम में उक्त प्रकरण की जांच की गई तो उपस्थित लोगों द्वारा बताया गया कि चुन्ना/चुन्नीसिंह पुत्र धर्मसिंह नाम का व्यक्ति खुन्ना सिंह पुत्र धर्मसिंह है।

वादीगण के विद्वारा अभिभाषक की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने अपनी बहस के दौरान वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी वादी को जरिये विरासतन उसके पिता धर्मसिंह से प्राप्त हुई है तथा उक्त आराजी की वादी के पिता स्व0 धर्मसिंह की मृत्यू उपरान्त जब विरासत दर्ज करते समय वादी का नाम चुन्ना/चुन्नी सिंह दर्ज कर दिया था जबकि वादी का सही नाम खुन्ना सिंह है एवं वादी के समस्त पहचान दस्ताबेज जाति निवास प्रमाण पत्र पहचान पत्र एवं आधार कार्ड में वादी का नाम खुन्ना सिंह ही दर्ज है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। वाद पत्र एवं वाद पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2075–78 के खाता संख्या 15,16,163,164,265,497,517 पहचान दस्ताबेज आधार कार्ड जनआधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग, हाई स्कूल परीक्षा 1991 की अंकतालिका, तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जबाव एवं जबाव के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी के द्वारा मुताबिक मौका पर्चा वादी का नाम विरासत का नामान्तरण दर्ज करते समय ही तत्कालीन पटवारी द्वारा सहवन से चुन्ना/चुन्नीसिंह दर्ज होना बताया है एवं उपस्थित लोगों द्वारा चुन्ना/चुन्नीसिंह पुत्र धर्मसिंह एवं खुन्ना सिंह पुत्र धर्मसिंह एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया है चुन्नासिंह/चुन्नीसिंह पुत्र धर्मसिंह के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में खुन्नासिंह पुत्र धर्मसिंह किये जाने योग्य बताया है। पत्रावली में उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड एवं पहचान दस्ताबेजात एवं हल्का पटवारी रिर्पोट आदि के आधार पर वादी का नाम चुन्ना/चुन्नीसिंह पुत्र धर्मसिंह के स्थान पर खुन्ना सिंह किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः–

वादपत्र वादी डिकी किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2075–78 में आराजी आराजी खाता संख्या 15,16,163,164,497,517 बाके ग्राम तुहिया पट्टी उच्चैन तहसील उच्चैन में खातेदार वादी का नाम चुन्नीसिंह पुत्र धर्मसिंह एवं खाता संख्या 265 में खातेदार वादी का नाम चुन्नासिंह पुत्र धर्मसिंह को कलमजन कर उनके स्थान पर खुन्ना सिंह उर्फ चुन्ना पुत्र धर्म सिंह दर्ज रिकार्ड किया जावे। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 04.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसौलिया (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम उच्चैन, भरतपुर

व इजलास श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (R.A.S.)

खुन्नासिंह बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत् धारा 88, 89 RTA

मुकदमा नं. 16/2024 (35/2024) सन्............

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हमारे

व हाजरी श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवो मिनजानिब ....

.... मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वादपत्र वादी डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी मुताबिक जमाबंदी संवत 2075-78 के आराजी खाता संख्या 15, 16, 163, 164, 497, 517 वाके ग्राम गुडिया पट्टी उच्चैन तह० उच्चैन मे खातेदार वादी का नाम पुन्नीसिंह पुत्र धर्मसिंह एवं खाता सं० 265 मे खातेदार वादी का नाम पुन्नासिंह पुत्र धर्मसिंह को कलमजद कर उनके स्थान पर खुन्ना सिंह उर्फ पुन्ना पुत्र धर्म सिंह दर्ज रिकार्ड किया जावे।

आज............ मुबलिग............ बाबत्............

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक............ का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 02 वर्ष 2026

को जारी की गई।

दस्तखत............ उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

ओहदा............

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील)पर........		
महनताना वकील)पर........			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांकः— 16/2024(35/2024)

1. खुन्नासिंह पुत्र धर्मसिंह जाति गूजर निवासी तुहिया पट्टी उच्चैन तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन।

.....प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)